केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2020/

संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/P/20/00037
CICOM/R/P/20/00093

अपीलकर्ता : **श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,**
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	06.02.2020
आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में आवेदन प्राप्त होने की तिथि	12.02.2020
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	11.03.2020
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एच. पी. सेन
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	13.03.2020
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.03.2020
निर्णय की तारीख	26.05.2020

मांगी गई सूचना

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 06.02.2020 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी:.

1. केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा ने फाइल सं. CIC/CICOM/A/2018/146000 में कहा है कि "Commission rejects the prayer dated 8.1.2020 of the Appellant for change of Bench for the present case as well as his future Second Appeals because there is no provision in the RTI Act to pray for change of Bench". कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के जिस नियम/उप-नियम/प्रावधान/धारा में यह वर्णित है का धारा सहित उस की छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाए ।

2. कृपया श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा, केन्द्रीय सूचना आयुक्त के Hearing का बहिस्कार करने से संबंधी एक आवेदन मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्रांक 29 दिनांक 08.01.2020 के माध्यम से भेजा था के प्राप्ति तिथि से लिए गए अंतिम निर्णय की छायाप्रति एवं उससे संबंधित संचिका टिप्पणी पृष्ठों की भी छायाप्रतियॉ अभिप्रमाणित दी जाएं ।

3. कृपया इस मामले से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का पत्र सं. 2/2/2020-RTIC/1411038 दिनांक 20 जनवरी, 2020 जो CPIO, RTI Cell, CIC को प्रेषित है के प्राप्ति तिथि से उस पर लिए गए निर्णय सहित संबंधित नियम/धारा की भी छायाप्रतियॉ अभिप्रमाणित दी जाए ।

प्रदान की गई सूचना

2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 11.03.2020 के पत्र के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई हैं :-

With reference to your above RTI application, point-wise reply is as follows:

i) No such information is available on record.

ii) No information is available on record about the action taken on your application addressed to the Secretary, CIC.

iii) No information is available about the action taken on your application 20.01.2020 addressed to the RTI Cell, CIC.

प्रथम अपील का आधार

3. प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि - "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है" ।

निर्णय

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता का दिनांक 06.02.2020 का उक्त आर.टी.आई. आवेदन जो कि दिनांक 12.02.2020 को केन्द्रीय सूचना आयोग के आर.टी.आई. प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ एवं आर.टी.आई. आवेदन प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर ही दिनांक 11.03.2020 को केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री एच. पी. सेन द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई है (स्पीड पोस्ट आई. डी. नं. ED396362611IN दिनांक 12.03.2020) । इस प्रकार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित करने में किसी प्रकार का विलंब नहीं हुआ है । केन्द्रीय सूचना अधिकारी, श्री एच. पी. सेन द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । श्री एच. पी. सेन द्वारा सूचना प्रेषित की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ संलग्न है ।

5. लॉकडाउन के कारण प्रथम अपील के निस्तारण में हुए विलंब के लिए खेद है । तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - श्री एच. पी. सेन द्वारा सूचना प्रेषित की गई सूचना की प्रति

मीना शर्मा 26/5/2020

(मीना बलिमने शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री एच. पी. सेन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DO to IC (DP), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

CENTRAL INFORMATION COMMISSION
Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi-110067
Tel: +91-11-26106140 Fax:26179548
E-Mail:- haro.sen@nic.in

Dated : 11.03.2020

To,
Shri Girish Prasad Gupta
Rajendra Path, Barauni
Village- Shokhara-2 P.O. - Barauni
Dist. Begusarai
PIN 851112

SUB - RTI Application with reference to RTI request No CICOM/R/P/20/00093.

Sir,

With reference to your above RTI application, point-wise reply is as follows.

i) No such information is available on record.

ii) No information is available on record about the action taken on your application addressed to the Secretary, CIC.

iii) No information is available about the action taken on your application 20.02.2020 addressed to the RTI Cell, CIC.

2. In case you are not satisfied, you can appeal to the Appellate Authority of CIC. The details of the Appellate Authority are as follows:

First Appellate Authority
CIC, Baba Gang Nath Marg, Munirka
New Delhi - 110067.

(H.P. Sen)
DD (CPIO) and CPIO

Copy to:-
CPIO(RTI Cell),CIC

ED396362611IN
12/3/20

14821

निबंधित 2144
स्पीड पोस्ट 13-3-20
कूरियर सेवा

सूचना का अधिकार
प्रथम अपील का आवेदन
प्रपत्र 'छ' नियम–6(i)देखें
आईoडीoसंo
कार्यालय व्यवहार के लिए

दिनांक:–

सेवा में,
प्रथम अपील अधिकारी, – C/o सचिव
(विभाग का नाम):– केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
(विभाग का पता):– नई दिल्ली – 110067

विषय:– सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील:–

महोदय,

1. तथ्य:– मैंने सूचना का अधिकार कानून ,2005 के तहत आपके विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 06-02-2020 को आवेदन किया है:– (प्रपत्र 'क' की छायाप्रति संलग्न) 125/20
2. प्रथम अपील का आधार :
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में सूचना देने के लिए निर्धारित समयावधि समाप्त हो जाने के बावजूद लोक सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। दिनांक 06-03-2020 को 30 दिनों का समय सीमा समाप्त हो गई ।
3. ~~मुझे जो जवाब प्राप्त हुआ है, वह अधूरा है/गलत है/मेरे आवेदन से संबंधित नहीं हैं/संतुष्ट नहीं हूँ।~~
4. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया ।

अतः आपसे निवेदन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत इस विषय पर निष्पक्षता और न्यायिक तरीके से सुनवाई कर मामला का निपटारा करें और सूचना का अधिकार कानून के प्रावधानों के अनुसार लोक सूचना अधिकारी को मेरे द्वारा मांगी गई सारी सूचना को अब निःशुल्क उपलब्ध कराने का आदेश दें। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के लिए लोक सूचना अधिकारी पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का आदेश दें।

धन्यवाद सहित।

प्रार्थी
गिरीश प्रसाद गुप्ता
आवेदक का हस्ताक्षर 13-03-2020

आवेदक का नाम एवं पता:–
नाम : गिरीश प्रसाद गुप्ता
पता: ग्राम–शोकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पोo–बरौनी –851112
जिला –बेगूसराय (बिहार)
क्रमांक: 305/20 दिनांक: 13-03-2020

संलग्नक:–
1. आवेदन की शुल्क के साथ छाया प्रति।
2. ~~लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा दिए गए जवाब की छाया प्रति। पत्रांक/ज्ञापांक........ दिनांक........~~
3. ~~आवेदन शुल्क के रूप में 10 रूपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर/ननजुडिशियल स्टाम्प। क्रमांक........ दिनांक........~~

नोट:–कृपया सूचना उपलब्ध कराते समय अथवा पत्राचार करते समय मेरे आवेदन पत्र का क्रमांक एवं तिथि का उल्लेख अवश्य करें।

निबंधित
स्पीड पोस्ट
कूरियर

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
बिहार सूचना का अधिकार नियमावली-2006
प्रपत्र 'क'
नियम 3(।) देखें।
सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र
आई०डी०सं०..............दिनांक..............कार्यालय प्रयोग के लिए।

सेवा में,
केन्द्रीय/लोक सूचना पदाधिकारी-सह- CPIO सचिव
(विभाग/कार्यालय):- केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका नई दिल्ली - 110067

1. आवेदक का नाम-- गिरीश प्रसाद गुप्ता
2. पूरा पता-- ग्रामः शोकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट--बरौनी--851112, जिला--बेगूसराय(बिहार)
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा ने file No-CIC/CCICOM/A/2018/146000 में कहा है कि "Commission rejects the prayer dated 8-1-2020 of the Appellant for change of Bench for the present case as well as his future second Appeals because there is no provision in the RTI Act to pray for change of Bench." कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जिस नियम/उपनियम/प्रावधान/धारा में यह वर्णित है का धारा सहित उसकी छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाय।
2. कृपया श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा केन्द्रीय सूचना आयुक्त के Hearing का बहिष्कार करने संबंधी एक आवेदन सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्रांक 29 दिनांक 08-01-2020 के माध्यम से भेजा था के प्राप्ति तिथि से लिये गए अंतिम निर्णय की छायाप्रति एवं उससे संबंधित संचिका टिप्पणी पृष्ठों की भी छायाप्रतियाँ अभिप्रमाणित दी जाय।
3. कृपया इस मामले से संबंधित कार्मिक, लोकशिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के पत्र सं0-2/2/2020-RTI(C)/IWUP38 दिनांक 20 जनवरी 2020 जो CPIO RTI cell CIC को प्रेषित है के प्राप्ति तिथि से उस पर लिये गए निर्णय सहित संबंधित नियम, धारा की भी छायाप्रति से अभिप्रमाणित दी जाय।

4. मैं एतद द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है एवं यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने .... रूपये (शब्दों में) .... तिथि .... को रसीद सं0 .... से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।
(2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0 .... दिनांक .... रूपये .... पदाधिकारी के पक्ष में .... बैंक, द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।
(3) मैंने डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0 10/-[illegible] रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प/भारतीय पोस्टल आर्डर इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है, जिसका क्रमांक 952329 दिनांक 19-11-19 है।
(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

अनुलग्नक:- यथोपरि।

आवेदक का आवेदन का क्रमांक:- 195/20

धन्यवाद सहित।

दिनांक- 06-02-2020

ई-मेल पता, अगर कोई हो:
दूरभाष सं0(कार्यालय)
आवेदक का पत्राचार का पूरा पता:

गिरीश प्रसाद गुप्ता 06-02-2020
(गिरीश प्रसाद गुप्ता)
आवेदक का हस्ताक्षर
ग्रामः शोकहारा-2,
राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट-बरौनी-851112
जिला-बेगूसराय(बिहार)

नोटः-- (i) कृपया सूचना उपलब्ध कराते समय अथवा पत्राचार करते समय मेरे आवेदन पत्र का क्रमांक एवं तिथि का उल्लेख अवश्य करें।
(ii) सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप में बिन्दुवार आमने-सामने "मांगी गई सूचना" (प्रश्न) -- "दी जा रही सूचना" (उत्तर) के फार्म (Form) फॉरमेट में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

O/C

1400ए

CIC om/R/P/20/00093

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली–2006

प्रपत्र 'क'

नियम 3(I) देखें।

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

UNDER RTI ACT-2005
MODULE POST CENTRE
BARAUNI-851112

आई०डी०सं०.............दिनांक...............कार्यालय प्रयोग के लिए।

सहायक/लोक सूचना पदाधिकारी–सह– CPIO सचिव

(विभाग/कार्यालय):– केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका नई दिल्ली – 110067

1. आवेदक का नाम– गिरीश प्रसाद गुप्ता
2. पूरा पता– ग्रामः शोकहारा–2, राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112, जिला–बेगूसराय(बिहार)
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा ने file No-CIC/CICOM/A/2018/146000 में कहा है कि "Commission rejects the prayer dated 8-1-2020 of the Appellant for change of Bench for the present case as well as his future second Appeals because there is no provision in the RTI Act to pray for change of Bench." कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस नियम/उपनियम/प्रावधान/धारा में यह वर्णित है का ब्यौरा सहित उसकी छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाय।

2. कृपया श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा केन्द्रीय सूचना आयुक्त के Hearing का बहिष्कार करने संबंधी एक आवेदन, मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव, केन्द्रीय सूचना आयोग को पत्रांक 29 दिनांक 08-01-2020 के माध्यम से भेजा था के प्राप्ति तिथि से लिये गए अंतिम निर्णय की छायाप्रति एवं उससे संबंधित संचिका टिप्पणी पृष्ठों की भी छायाप्रतियां अभिप्रमाणित दी जाय।

3. कृपया इस मामले से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र सं० 2/2020-RTI/C/14/12384 दिनांक 20 जनवरी 2020 जो CPIO RTI cell CIC को प्रेषित है के प्राप्ति तिथि से उसपर लिये गए निर्णय सहित संबंधित नियम/धारा की भी छायाप्रति अभिप्रमाणित दी जाय।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है, यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

(1) मैंने............रूपये(शब्दों में).............तिथि.............को रसीद सं०.............से विभाग कार्यालय में भुगतान कर दिया है।

(2) मैं डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं०.........दिनांक.........जो.........पदाधिकारी के पक्ष में.........बैंक, द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने डिमाण्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं० 10/-(दस) रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प/भारतीय पोस्टल आर्डर इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है, जिसका क्रमांक 952329 दिनांक 19-11-19 है।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।

RTI cell CPIO (Admn) CPIO (Admn)

अनुलग्नकः– यथोपरि।

आवेदक का आवेदन का क्रमांकः– 125/20

धन्यवाद सहित!

गिरीश प्रसाद गुप्ता
06-02-2020

दिनांक– 06-02-2020

12/2 RTI cell

ई–मेल पता, अगर कोई होः

टेलीफोन सं०(कार्यालय)

आवेदक का पत्राचार का पूरा पताः

RTI CELL RECEIVED ON...12/02/20...

(गिरीश प्रसाद गुप्ता)
आवेदक का हस्ताक्षर
ग्रामः शोकहारा–2,
राजेन्द्र पथ बरौनी, पोस्ट–बरौनी–851112
जिला–बेगूसराय(बिहार)

नोटः– (i) कृपया सूचना उपलब्ध कराते समय अथवा पत्राचार करते समय मेरे आवेदन पत्र का क्रमांक एवं तिथि का उल्लेख अवश्य करें।

(ii) सभी सूचनाएँ स्पष्ट रूप में बिन्दुवार आमने–सामने "माँगी गई सूचना" (प्रश्न) एवं दी जा रही सूचना (उत्तर) के फार्म (Form) फॉरमेट में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

केन्द्रीय सूचना आयोग
11 FEB 2020
CENTRAL INFORMATION COMMISSION

22391
11/2/20